R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 6 ♦ दिसम्बर 2017

2017 की मुख्य मुख्य बातें

बैंकिंग विनियमन

अप्रैल

- भारतीय महिला बैंक लिमिटेड (बीएमबीएल) और भारतीय स्टेट बैंक की सहयोगी बैंकों की सभी शाखाएं जैसे स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर (एसबीटी) ने 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्यसंचालन शुरू कर दिया।
- रिज़र्व बैंक ने भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता (आईएफएससी), बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) और आईएफएससी में वित्तीय संस्थाओं के परिचालन से संबंधित अपने निदेशों को 10 अप्रैल 2017 को संशोधित किया।
- रिज़र्व बैंक ने 18 अप्रैल 2017 को बैंकों को अनुमति दी कि वे रियल एस्टेट निवेश न्यासों (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यासों (इंफ्रा निवेश न्यास) में सहभागिता करें।
- रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2017 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि उनके लिए अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट मंजूरी प्रक्रिया से क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की अलग प्रणाली रखना अपेक्षित है।

मई

- रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2017 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि संयुक्त ऋणदाता मंच (जेएलएफ) में मूल्य के हिसाब से न्यूनतम 60 प्रतिशत कर्जदाताओं और संख्या के हिसाब से 50 प्रतिशत कर्जदाताओं द्वारा सहमत निर्णयों को सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) निश्चित करने के लिए आधार के रूप में माना जाएगा और इस ढांचे में उपलब्ध निकास (एवजी द्वारा) विकल्प के अधीन सभी कर्जदाताओं पर बाध्य होंगे।
- रिज़र्व बैंक ने 18 मई 2017 को 'बैंकिंग आउटलेटों' पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए।
- रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा पर 22 मई 2017 को निदेश जारी किया जिसके द्वारा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का निपटान करने पर मौजूदा विनियमों में निम्नलिखित बदलाव किए गए :
  i) यह स्पष्ट किया गया कि सुधारात्मक कार्य योजना में लचीली पुनर्संरचना, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की संधारणीय संरचना की योजना (एस4ए) शामिल हो सकती है।
  ii) संयुक्त ऋणदाता मंच (जेएलएफ) में निर्णय निर्माण को आसान बनाने की दृष्टि से प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु आवश्यक सहमति को मूल्य के हिसाब से पूर्ववर्ती 75 प्रतिशत की बजाय 60 प्रतिशत किया गया जबकि संख्या के लिहाज से इसे 50 प्रतिशत रखा गया। जेएलएफ द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर अल्पमत में रहने वाले बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे निर्धारित समय के अंदर प्रतिस्थापन नियमों का अनुपालन करते हुए बाहर निकल जाएं या जेएलएफ के निर्णय का पालन करें।
  iii) सहभागी बैंकों को अधिदेश दिया गया है कि वे बिना किसी अतिरिक्त शर्त के जेएफएफ के निर्णय को लागू करें।
  iv) बैंकों के बोर्डों को सूचित किया गया है कि वे अपने कार्यपालकों को अतिरिक्त संदर्भ के बिना जेएलएफ के निर्णयों को कार्यान्वित करने की उन्हें शक्ति प्रदान करें।

उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए, रिज़र्व बैंक ने एक कार्ययोजना भी बनाई जिसमें बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए निगरानी समिति (ओसी) को पुनर्गठित और विस्तारित करने के निर्णय को शामिल किया गया।

जुलाई

- रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2017 को निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए।

अगस्त

- रिज़र्व बैंक ने 2 अगस्त 2017 को चलनिधि मानकों चलनिधि कवरेज़ अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूल और एलसीआर प्रकटन मानकों के दिशानिर्देशों पर बासेल III ढांचे के कतिपय प्रावधानों को संशोधित किया।

अक्टूबर

- रिज़र्व बैंक ने 21 अक्टूबर 2017 को स्पष्ट किया कि लागू मामलों में बैंक खाते के साथ आधार संख्या जोड़ना धन शोधन निवारण (रिकार्डों का रख-रखाव) के अंतर्गत अनिवार्य है।
- रिज़र्व बैंक ने 23 अक्टूबर 2017 को भारत के लिए सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) पर उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया।

नवंबर

- रिज़र्व बैंक ने 9 नवंबर 2017 को बैंकों को सूचित किया कि वे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ उचित व्यवस्था शुरू करें जिससे कि ये लोग बिना किसी कठिनाई के बैंक की सेवाओं का लाभ उठा सकें।

दिसंबर

- रिज़र्व बैंक ने 19 दिसंबर 2017 को रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित सभी वित्तीय ऋणदाताओं को सूचित किया कि वे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़) (आईबीबीआई आईयू) विनियमावली, 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करें और संहिता तथा विनियमावली के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली और प्रक्रियाएं शुरू करें।

बैंकिंग पर्यवेक्षण

अप्रैल

- रिज़र्व बैंक ने 13 अप्रैल 2017 को बैंकों के लिए शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के ढांचे को संशोधित किया।

गैर बैंकिंग विनियमन

अप्रैल

- रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2017 को सूचित किया कि कोई भी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) दो करोड़ की निवल स्वधिकृत निधि (एनओएफ) के बिना या ऐसी अन्य उच्चतर राशि के बिना प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्निर्माण का कारोबार शुरू या जारी नहीं रखेगी।

नवंबर

- रिज़र्व बैंक ने 9 नवंबर 2017 को जनहित में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के जोखिमों को व्यवस्थित करने पर अपने निदेशों में आवश्यक परिवर्तन किए।

सहकारी बैंकिंग विनियमन

अप्रैल

- 28 अप्रैल 2017 को रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी सहकारी बैंकों को,जो अधिग्रहण बैंक के बिक्री केंद्र (पीओएस) के रूप में कार्य करने के इच्छुक नहीं है, रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना तीसरे पक्ष के पीओएस टर्मिनलों की तैनाती करने की अनुमति होगी।

मई

- 25 मई 2017 को रिज़र्व बैंक ने अपने स्वयं के एटीएम नेटवर्क रखनेवाले सभी लाइसेंस प्राप्त सहकारी बैंकों को अर्द्ध-बंद पीपीआई जारी करने की अनुमति दी, बशर्ते कि जमाओं की स्वीकृति या पुनर्भुगतान पर कोई प्रतिबंध न हो।

दिसंबर

- 14 दिसंबर 2017 को रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत लेनदेनों, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक के खाते / कार्ड नामे डाले जाने से संबंधित बैंकों के निर्देशों की और इन परिस्थितियों में ग्राहक की देयता को निर्धारित करने वाले मानदंडों की समीक्षा की।

वित्तीय बाजार विनियमन

अप्रैल

- 11 अप्रैल 2017 को रिजर्व बैंक ने त्रि-पक्षीय रेपो की शुरूआत पर मसौदा ढांचे को जारी किया।

अगस्त

- देश के ऋण और वित्तीय व्यवस्था के विकास के लिए अपने लाभ और सार्वजनिक हित में, 10 अगस्त 2017 को रिजर्व बैंक ने रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक पेपर दिशानिर्देश, 2017 और त्रि-पक्षीय रिपो (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2017 जारी किए।

अक्टूबर

- 12 अक्तूबर 2017 को रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजार के साधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) को अधिकृत करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए, जो रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं।

मुद्रा प्रबंध

जनवरी

- रिज़र्व बैंक ने 31 दिसंबर 2016 को उन निवासियों और अनिवासी नागरिकों के लिए विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) बदलवाने की सुविधा शुरू की जो 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान भारत से बाहर होने के कारण इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सके थे। निवासी भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान विदेश में थे, उन्हें 31 मार्च 2017 तक इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी गई और अनिवासी भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान विदेश में थे, वे 30 जून 2017 तक इस सुविधा का लाभ उठाने के पात्र थे।
- रिज़र्व बैंक ने 3 जनवरी 2017 करेंसी चेस्ट रखने वाले बैंकों को सूचित किया कि वे वितरण चैनलों का उचित कार्यसंचालन सुनिश्चित करने और करेंसी प्रवाह के पर्याप्त अनुपात को बनाए रखने के लिए कदम उठाएं।
- रिज़र्व बैंक ने 16 जनवरी 2017 को आहरण सीमा निम्नानुसार बढ़ाईः
  i) एटीएम से पैसा निकालने की सीमा को तत्कालीन साप्ताहिक सीमा के अंदर परिचालरत प्रत्येक कार्ड पर ₹ 4,500 से बढ़ाकर ₹ 10,000 किया गया।
  ii) चालू खातों की आहरण सीमा को प्रत्येक सप्ताह में ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 1,00,000 किया गया और यह सुविधा ओवरड्राफ्ट और नकदी क्रेडिट खातों के लिए भी दी गई।
- रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2017 को आंशिक रूप से यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया।
- रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2017 को बैंकों से आग्रह किया कि वे अपने घटकों को प्रोत्साहित करें कि भुगतान के डिजिटलीकरण और नकदी से गैर-नकदी भुगतान मोड में स्विच करने के लिए इस गतिविधि को जारी रखें।

फरवरी

- रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2017 को बैंकों को सूचित किया कि 10 नवंबर 2016 से करेंसी चेस्टों में जमा कराए गए विनिर्दिष्ट बैंकनोटों (एसबीएन) को गंदे नोट श्रेणी में चेस्ट की शेषराशि के भाग के रूप में समझा जाए किंतु इन जमाराशियों को अगले अनुदेश आने तक चेस्ट की शेषराशि सीमा/नकदी रखने की सीमा के परिकलन हेतु नहीं गिना जाए।

अगस्त

- रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 50 मूल्यवर्ग और ₹ 200 मूल्यवर्ग के बैंकनोट क्रमशः 25 अगस्त और 18 अगस्त 2017 को शुरू किए।

अक्टूबर

- रिज़र्व बैंक ने आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन के आधार पर बैंक शाखाओं के लिए दंड योजना पर मास्टर परिपत्र 12 अक्टूबर 2017 को जारी किया।
- रिज़र्व बैंक ने 12 अक्टूबर 2017 को बैंकों को सूचित किया कि वे करेंसी चेस्ट निरपवाद रूप से सभी लेनदेनों की रिपोर्टिंग आइकॉम्स के माध्यम से उसी दिन अपराह्न 9 बजे तक सुरक्षित वेबसाइट (एसडब्ल्यूएस) के माध्यम से आंकड़ों को अपलोड करके अपने संबंधित लिंक कार्यालयों करें।

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

जून

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2017 को बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों द्वारा बीमा / म्यूचुअल फंड / अन्य तीसरे पक्ष के निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली कमियों को शामिल करते हुए विस्तृत किया।

विदेशी विनिमय प्रबंधन

जनवरी

- 25 जनवरी 2017 को रिजर्व बैंक ने समीक्षा के बाद एक भारतीय पार्टी को संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (जेवी / डब्ल्यूओएस) के रूप में विदेशी संस्था,ढ़ांचे या अधिग्रहित संस्था में सीधे रूप में या एफएटीएफ द्वारा 'गैर-सहकारी देशों और क्षेत्रों' के रूप में पहचान किए गए देशों में स्थित सहायक उपनिवेश के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने पर रोक लगा दी।

फरवरी

- विदेशों में रुपया-मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड जारी करने वाली भारतीय एंटिटियों को अधिकतम निवेशक-विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से,रिज़र्व बैंक ने 16 फरवरी 2017 को, बहुपक्षीय एवं प्रादेशिक वित्तीय संस्थानों, जिनमें भारत एक सदस्य देश है, को भी रुपया-मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड्स में निवेश करने की अनुमति दी ।
- 24 फरवरी 2017 को रिज़र्व बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) से संबंधित मास्टर दिशानिर्देश जारी किए, जो भारत में लाभार्थियों को विदेशों से व्यक्तिगत प्रेषणों को अंतरित करने का एक त्वरित और आसान तरीका है।

सितंबर

- रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2017 को, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निदेशित किया कि वे निर्यातगत प्राप्तियों संबंधी विवरण को ''जैसे भी, जब भी वसूली हो'' के आधार पर EDPMS में अद्यतन कराते रहें तथा 16 अक्तूबर 2017 से EDPMS में उपलब्ध विवरण के आधार पर ही इलेक्ट्रोनिक बैंक उगाही (वसूली) प्रमाणपत्र (eBRC) जनरेट करें, ताकि EDPMS में विवरण की निरंतरता बनी रहे और इलेक्ट्रोनिक बैंक उगाही (वसूली) प्रमाणपत्र (eBRC) का समेकन किया जा सके।

नवंबर

- 16 नवंबर 2017 को रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में टी + 1 या टी + 2 के आधार पर ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) सेकेंडरी बाजार लेनदेन का निपटान करने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को अनुमति दी।

आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ

भुगतान और निपटान प्रणाली

जनवरी

- वॉइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डब्लूएलएओ) के लिए नकदी की उपलब्धता की सुविधा के लिए, रिज़र्व बैंक ने 30 दिसंबर 2016 को उन्हें खुदरा दुकानों से नकदी की अनुमति दी।

फरवरी

- 16 फरवरी 2017 को रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के युक्तिसंगत पर मसौदा परिपत्र अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए रखा ।

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति निर्णय-2017

द्वि-मासिक मौद्रिक नीति पर वक्तव्य	तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीति रेपो दर	तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रिवर्स रेपो दर	कुल मूल्य वृद्धि (जीवीए) वृद्धि अनुमान	बैंक दर
8 फरवरी 2017	6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	5.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	6.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर संशोधित	6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित
6 अप्रैल 2017	6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	6.0 प्रतिशत तक घटा	7.4 प्रतिशत तक मजबूत	6.50 प्रतिशत तक घटा
7 जून 2017	6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	6.00 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	7.3 प्रतिशत के निम्न स्तर पर संशोधित	6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित
2 अगस्त 2017	6.0 प्रतिशत तक घटा	5.75 प्रतिशत तक घटा	7.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	6.25 प्रतिशत तक घटा
4 अक्तूबर 2017	6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	5.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	6.7 प्रतिशत के निम्न स्तर पर संशोधित	6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित
6 दिसंबर 2017	6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	5.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	6.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित

मई

- 8 मई 2017 को रिज़र्व बैंक ने, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में आधे घंटे के अंतराल पर एनईएफटी प्रणाली में अतिरिक्त निपटान लागू किए ताकि प्रणाली की दक्षता को बढ़ाया जा सके और ग्राहकों को सुविधा प्रदान की जा सके।

अक्टूबर

- 11 अक्तूबर 2017 को रिज़र्व बैंक ने भारत में प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के जारी करने और परिचालन पर मास्टर दिशानिर्देश जारी किए। इस मसौदा परिपत्र को 20 मार्च 2017 को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए आरबीआई की वेबसाइट रखा गया था।

दिसंबर

- 5 दिसंबर 2017 को रिज़र्व बैंक ने, यह स्पष्ट किया है कि ऐसी योजनाओं का परिचालन करने या बिटकॉइन अथवा किसी भी वर्चुअल करेंसी में लेनदेन करने के लिए किसी भी इकाई / कंपनी को कोई लाइसेंस/प्राधिकार नहीं दिया है।

वित्तीय समावेशन और विकास

मार्च

- रिज़र्व बैंक ने 2 मार्च 2017 को एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा कैम्प आयोजित करने संबंधी नीति को संशोधित किया।

जून

- 8 जून 2017 को रिज़र्व बैंक ने, एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया कि वे समीक्षा करें और शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाने पर संशोधित दिशानिर्देशों के आलोक में 5000 से अधिक की आबादी वाले गाँवों में बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) की पहचान करें तथा यह सुनिश्चित करें कि ऐसे 5000 से अधिक की आबादी वाले बैंकरहित ग्रामीण केंद्र, यदि कोई हो, में तत्काल सीबीएस सक्षम बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराया जाए।

जुलाई

- वित्तीय समावेशन और ग्राहक सुरक्षा पर दिए जा रहे अधिक जोर के कारण और अनधिकृत लेनदेनों, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों के खातों/ कार्डों के नामे डालने से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों में हाल ही में हुई तीव्र वृद्धि को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 6 जुलाई 2017 को इन परिस्थितियों में ग्राहक की देयता निर्धारित करने के संशोधित निदेश जारी किए।
- एफआईएफ परामर्शदाता बोर्ड से परामर्श के बाद रिज़र्व बैंक ने 13 जुटाई 2017 को, बैंकों के लिए प्रति कैम्प रु. 5,000/- के अधिकतम व्यय के अधीन कैम्प के व्यय के 60 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध निधियन सहायता को संशोधित किया।

अगस्त

- 3 अगस्त 2017 को रिज़र्व बैंक ने, सभी वाणिज्यक बैंकों को अप्रैल से जून 2017 के दौरान दिए गए राहत उपायों से संबंधित वास्तविक डेटा को तत्काल अपलोड करने तथा जुलाई 2017 के बाद प्रत्येक महीने के लिए अगले महीने की 10 तारीख तक डेटा केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से तत्काल (रियल टाइम) आधार पर प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित डेटा के संग्रह और संकलन हेतु अपलोड करना सूचित किया है।

नवंबर

- 10 नवंबर 2017 को रिज़र्व बैंक ने एसएमएस के माध्यम से जनता को उन विभिन्न बैंकिंग नियमों और सुविधाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू किया।

सरकारी और बैंक लेखा

फरवरी

- भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जनवरी 2017 से कर और गैर-कर संबंधी बकाए का सरकार को भुगतान करने के लिए प्रयोग किए गए डेबिट कार्डों पर बैंकों को व्यापारी छूट दर(मर्चेंट डिस्काउंट रेट) की प्रतिपूर्ति करेगा।

मार्च

- रिपोर्टिंग, समाधान और लेखांकन में एकरूपता बनाए रखने के लिए,6 मार्च 2017 को रिज़र्व बैंक ने एजेंसी बैंकों को स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के लेनदेनों अर्थात प्राप्तियाँ, भुगतान, दण्ड, ब्याज, संग्रहण हेतु कमीशन, हैंडलिंग प्रभार आदि की जानकारी दैनिक आधार पर केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर में इस प्रयोजन से रखे गए सरकारी खाते के माध्यम से सीधे प्रस्तुत करना सूचित किया।

दिसंबर

- 7 दिसंबर 2017 को रिज़र्व बैंक ने सभी एजेंसी बैंकों को अन्य किसी एजेंसी बैंक जोकि कुछ मामलों में समूहक का कार्य करते हैं उनके माध्यम से निधियों और एजेंसी कमीशन दोनों के लिए अपने एजेंसी लेनदेनों का निपटान करने के बजाए सीधे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ निपटान करना सूचित किया है।
- 21 दिसंबर 2017 को रिजर्व बैंक ने सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी अनुदेशों का त्वरित कार्यान्वयन के संबंध में सरकारी (केंद्र तथा राज्य सरकार) अधिसूचनाओं में निहित दिशानिर्देशों/अनुदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करें और भारतीय रिज़र्व बैंक से इस संबंध में अनुदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें।

शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण

रिज़र्व बैंक ने 22 दिसंबर 2017 को दोहराया है कि पीसीए ढांचे का आशय आम जनता के लिए बैंकों के परिचालनों को सीमित करना नहीं है। आगे, स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक बैंकों की अच्छी वित्तीय स्थिति बनाए रखने के लिए अपने पर्यवेक्षी ढांचे के अंतर्गत विभिन्न उपायों/साधनों का उपयोग करता है। पीसीए ढांचा ऐसे ही पर्यवेक्षी साधनों में से एक है जिसमें समय पर चेतावनी कार्रवाई के रूप में बैंकों के कुछ कार्यनिष्पादन संकेतकों की निगरानी करना शामिल है तथा पूंजी, आस्ति गुणवत्ता आदि से संबंधित ऐसी थ्रेशोल्ड का उल्लंघन होते ही इस कार्रवाई को शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य बैंकों को समयबद्ध तरीके से रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उपायों सहित सुधारात्मक उपाय करने की सुविधा प्रदान करना है जिससे कि उनकी वित्तीय स्थिति को पुनर्स्थापित किया जा सके। यह ढांचा रिज़र्व बैंक को उन क्षेत्रों में अधिक निकटता से प्रबंध-तंत्र के साथ मिलकर ऐसे बैंकों पर संकेंद्रित ध्यानाकर्षण करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार पीसीए ढांचा का आशय बैंकों को कतिपय जोखिमपूर्ण गतिविधियों से बचने के लिए प्रोत्साहित करना और पूंजी संरक्षण पर ध्यानकेंद्रित करना जिससे कि उनके तुलन-पत्रों को मजबूत बनाया जा सके।

रिज़र्व बैंक ने बल दिया है कि पीसीए ढांचा दिसंबर 2002 से परिचालनरत है और 13 अप्रैल 2017 को जारी दिशानिर्देश पूर्ववर्ती ढांचे का संशोधित संस्करण मात्र है।

सोशल मीडिया सहित मीडिया के कुछ खंडों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत रखने के मद्देनजर इनके बंद होने संबंधी परिचालित गलत-सूचना संप्रेषण का पता चलने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस स्थिति को पुनःदोहराया।

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।